



राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

NATIONAL INSTITUTE OF OPEN SCHOOLING

आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित/ISO 9001 : 2008 certified

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मा.सं.वि.मं., भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था)

(An Autonomous Institution Under Deptt. Of School Education and Literacy, M.H.R.D., Govt. of India)

वि.स.से.विभाग

फा 31.1/2019/एनआईओएस/वि.स.से./सम./06

दिनांक : 05.11.2019

अधिसूचना - 2019

विषय : क्षेत्रीय केंद्रों पर एआई/एवीआई/ए के समन्वयकों की बैठक के आयोजन हेतु दिशा-निर्देश ।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा 2020-21 (वित्तीय वर्ष) से क्षेत्रीय केंद्र, एनआईओएस पर एआई/एवीआई/ए के समन्वयकों की बैठक के आयोजन के लिए निम्नांकित दरें अनुमोदित की जाती हैं, जिनका उल्लेख निम्नानुसार है :

क्र. सं.	विवरण	अनुमोदित दरें
1.	दोनों तरफ के लिए स्थानीय किराया	रु. 500/- तक (वास्तविक बिल अथवा जो भी कम हो)
2.	बाह्य प्रतिभागियों के लिए किराया	रु. 1500/- तक (2टियरएसी/3टियरएसी ट्रेन टिकट अथवा एसी बस टिकट प्रदान करने पर) अथवा वास्तविक आधार पर जो भी कम हो और रु. 500/- तक (रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डा/बस स्टैंड से समन्वयकों की बैठक के स्थान तक पहुँचने और वापसी, दोनों तरफ के लिए)
3.	दोपहर का खाना और जलपान	रु. 250/- दो समय का नाश्ता और दोपहर के खाने के लिए (पूरे दिन की बैठक) रु. 200/- एक समय का नाश्ता और दोपहर के खाने के लिए (आधे दिन की बैठक)
4.	विविध खर्च	रु. 5000/-
5.	स्टेशनरी	रु. 50/- प्रति व्यक्ति

उपर्युक्त के अलावा निम्नांकित निर्देशों का सावधानी पूर्वक पालन किया जाए :

- कथित बैठक के सदस्य एआई/एवीआई/ए के केवल कार्यरत अध्ययन केंद्रों से आमंत्रित किए जाने चाहिए।

ए-24-25, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सैक्टर-62, नोएडा-201309 (उ.प्र.) . दूरभाष : 0120-4089800 . फैक्स : 0120-2403172

A-24-25, Institutional Area, Sector-62, NOIDA-201309 (U.P.) . Phone : 0120-4089800 . Fax : 0120-2403172 . Website: www.nios.ac.in

2. एक एआई/एवीआई/ए से केवल एक सदस्य प्रतिनिधि होगा। प्रतिभागी की पुष्टि पहले ही प्राप्त की जाएगी।
3. धनराशि का भुगतान बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या के आधार पर किया जाएगा।
4. मुख्यालय से तिथि निश्चित करने के पश्चात वर्ष में एक बार बैठक का आयोजन किया जाएगा।
5. समन्वयकों की बैठक का स्थान बिना किसी लागत के एनआईओएस के एआई/एवीआई/ए का स्कूल/संस्थान होगा।
6. इस बैठक का खर्च क्षेत्रीय केंद्रों के खाते से उनके तिमाही बजट में उपलब्ध धनराशि से किया जाएगा।
7. विविध मदों पर एनआईओएस के नियमानुसार खर्च किया जाएगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(एस.विजय कुमार)
निदेशक (वि.स.से.)

वितरण :

1. अध्यक्ष महोदय को सूचनार्थ उप निदेशक (अ.का.)
2. सचिव, एनआईओएस
3. निदेशक (व्यावसायिक)
4. निदेशक (शैक्षिक)
5. निदेशक (मूल्यांकन)
6. सभी क्षेत्रीय निदेशक, एनआईओएस, क्षेत्रीय केंद्र
7. एसए/पी को एनआईओएस की कार्यलायी वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
8. उप निदेशक (लेखा परीक्षा), एनआईओएस, मुख्यालय।



राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
NATIONAL INSTITUTE OF OPEN SCHOOLING

आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित/ISO 9001 : 2008 Certified

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मा.सं.वि.मं., भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था)
(An Autonomous Institution Under Deptt. of School Education and Literacy, M.H.R.D., Govt. of India)

SSS Department

F31.1/2019/NIOS/SSS/Co-ord/06

Date: 05.11.2019

Notification - 2019

Sub: Guidelines for organising Coordinators meeting of AIs/AVIs/AAs at Regional Centres

The Competent Authority has approved following rates from the year 2020-21(Financial year) for conduct of Coordinators meeting of AIs/AVIs/AAs at Regional Centres, NIOS, which are mentioned below :

S.no	Particulars	Approved rates (Rs)
1	Local Conveyance for both sides	Upto 500/- (Actual bill or whichever is less)
2	Conveyance for outstation participant	Upto 1500/- (On production of 2AC/3AC Train Ticket or AC Bus Ticket) or on actual basis, which ever is less. And Upto 500/- (Both sides from Railway Station/airport/bus stand to the venue of coordinators meeting and return journey)
3	Lunch and High Tea	Two times refreshment and working lunch for Rs.250/- (Full day meeting) One time refreshment and working lunch for Rs.200/- (Half a day meeting)
4	Misc charges	Rs.5000/-
5	Stationery	50/- per person

In addition to above, following instructions be followed scrupulously:

1. Members for the said meeting shall be invited only from active Study Centres of AIs/AVIs/AAs.

2. Only one member shall represent from an AI/AVI/AA. Confirmation from the participant shall be received in advance.
3. Payment shall be released on the basis of number of members present in the meeting.
4. Meeting shall be convened once in a year after confirming the date from the Headquarters.
5. The venue of the co-ordinators meeting shall be in a school/institute, which are AI/AVI/AA of NIOS without any hiring charges.
6. Expenditure of the meeting shall be met from Regional Centres Account from the quarterly budget available with them.
7. Expenditure on miscellaneous items should be made as per the norms of NIOS.

This issues with the approval of the Competent Authority.

(S.Vijaya kumar) 05/11/19
Director (SSS)

Distribution:

1. Dy. Director (CMO) for kind information of Chairman, please
2. Secretary, NIOS
3. Director (Vocational)
4. Director (Academics)
5. Director (Evaluation)
6. All Regional Directors, NIOS, Regional Centres
7. SA/P for uploading on official NIOS website of NIOS
8. Dy. Director (Audit), NIOS, HQs